पत्रांक–9 / सै0–विविध (जमाबंदी डिजिटाईजेशन)–07 / 2022–.....168.....(9) / रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता, बिहार।

पटना–15, दिनांक–.....20-01-2025

विषय :– बिहार भूमि पोर्टल पर डिजिटाईज्ड किये गये जमाबंदी मे मौजा संबंधी परिलक्षित त्रुटियों का सुधार किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– (i) विभागीय पत्रांक–1426(9), दिनांक–05.06.2024
(ii) विभागीय पत्रांक–2153(9), दिनांक–08.08.2024
(iii) विभागीय पत्रांक–2397(9), दिनांक–28.08.2024

महाशय,

आप अवगत हैं कि राज्य के आम नागरिकों एवं भू–धारियों को सुविधा प्रदान करने एवं भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन में तीव्रता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in/ विकसित किया गया है।

2. जमाबंदी पंजी के ऑनलाईन डिजिटाइजेशन के क्रम में कतिपय डिजिटाईज्ड जमाबंदियों में परिलक्षित अशुद्धियों / त्रुटियों के सुधार हेतु "परिमार्जन प्लस" पोर्टल में Module को Live किया जा चुका है। इस संबंध में "परिमार्जन प्लस" पोर्टल लागू होने के उपरांत रैयत द्वारा ऑनलाईन की गयी पुरानी जमाबंदी में सुधार हेतु आवेदन किये जाने की प्रक्रिया, इसकी प्रारम्भिक जाँच एवं निस्तार की प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा–निदेश पूर्व से **विभागीय पत्रांक–1426(9), दिनांक–05.06.2024 के द्वारा** संसूचित हैं।

3. परिमार्जन की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए एतद्संबंधी दिशा–निर्देश विभागीय पत्रांक–2153(9), दिनांक–08.08.2024 के द्वारा संसूचित की गई है।

4. द्वितीय चरण में विभागीय पत्रांक–2397(9), दिनांक–28.08.2024 द्वारा बिहार भूमि पोर्टल पर डिजिटाईज नहीं किये गये जमाबंदी अर्थात् छूटे हुए जमाबंदी को "परिमार्जन प्लस" पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किये जाने के संबंध में विहित प्रक्रिया संसूचित है।

5. वर्ष 2017–2018 के दौरान डिजिटाइजेशन के समय किसी एक मौजा की जमाबंदी गलती से दूसरे मौजा में ऑनलाइन प्रविष्टि कर दी गई है तथा कतिपय अंचलों में संधारित मूल जमाबंदी पंजी के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि किसी मौजे के मूल जमाबंदी पंजी के अलग अलग पृष्ठों पर अलग–अलग मौजे की जमाबंदी को संधारित कर दिया गया है, जिसको डिजिटाइज करने के क्रम में

जिस मौजा की मूल जमाबंदी पंजी थी, उसी मौजा में सभी जमाबंदियों को गलती से ऑनलाइन कर दी गई है।

6. साथ ही कतिपय अंचलों में संधारित मूल जमाबंदी पंजी के अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ कि – किसी मौजा के मूल जमाबंदी पंजी के एक ही पृष्ठ पर एक रैयत के एक से अधिक मौजे की जमीन की जमाबंदी की प्रविष्टि कर दी गई है, तथा ऑनलाइन भी इसे हु–ब–हु उसी मौजा में दर्ज कर दी गई है, जिससे वर्तमान में दूसरे मौजा की भूमि अलग मौजे में प्रदर्शित हो रही है। उक्त वर्णित परिस्थिति में रैयतों/भू–धारियों को जमीन के क्रय–विक्रय, दाखिल–खारिज, भू–लगान जमा करने तथा अन्य कार्यों में कठिनाईयाँ हो रही है।

7. उपर्युक्त समस्याओं का निराकरण करने हेतु, जब तक "परिमार्जन प्लस" पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था नही की जाती है, तब तक, रैयतों/आम नागरिको द्वारा अंचल अधिकारी के समक्ष ऑफलाइन माध्यम से आवेदन दायर किया जा जायेगा। **विभागीय पत्रांक–1426(9), दिनांक–05.06.2024 की कंडिका–3.1 (ग) तथा (घ)** में वर्णित बिहार भूमि पोर्टल पर प्रदर्शित डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में परिलक्षित त्रुटियों में सुधार हेतु विहित प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

3.1 (ग) किसी अन्य मौजा की जमाबंदी का किसी अन्य मौजा में ऑनलाइन किये जाने संबंधी सुधार।

(i) डिजिटाईजेशन के दौरान किसी जमाबंदी का भूलवश किसी अन्य मौजा में प्रविष्टि हो जाने की स्थिति में अंचल अधिकारी स्वतः ज्ञात होने पर या प्राप्त आवेदन के आलोक में उस जमाबंदी को सही मौजा में प्रविष्टि करेंगे। जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु पूर्व से ही E-Jamabandi module के अंतर्गत "Add New Jamabandi" menu में Option उपलब्ध कराया गया है। Online करने के लिए राजस्व कर्मचारी (As Maker), राजस्व अधिकारी (As Checker) तथा अंचल अधिकारी (Approver) अपने डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर जमाबंदी की ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे। परिलक्षित त्रुटियों में सुधार के क्रम में राजस्व कर्मचारी जमाबंदी ऑनलाइन करने से पूर्व अभिलेख तैयार करेंगे। अभिलेख के आधार पर राजस्व कर्मचारी जमाबंदी ऑनलाइन करने संबंधी ड्राफ्ट बनाएंगे तथा अभिलेख की कॉपी अपलोड कर इसे राजस्व अधिकारी को अग्रसारित करेंगे।

(ii) राजस्व अधिकारी जाँचोपरान्त मन्तव्य के साथ इसे आदेश हेतु अंचल अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। अंचल अधिकारी के आदेश के उपरांत जमाबंदी में तत्संबंधी सुधार ऑनलाइन प्रदर्शित हो जाएगी। साथ ही, अंचल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि गलत मौजे में प्रविष्टि की गई जमाबंदी को एडिट कर इसे Dead मार्क करेंगे। एडिट करते समय "परिवर्तन का प्राधिकार" सेक्शन में यह अंकित करेंगे कि "यह जमाबंदी abc मौजा की थी, जिसे यहां से डिलीट कर उस मौजा के वॉल्यूम नं0–xxx पेज नं0–yyy पर प्रविष्टि की जा चुकी है।" यह कार्य जमाबंदी "Edit Module" से की जा सकेगी।

3.1 (घ) दो या दो से अधिक मौजा की जमाबंदी का एक ही मौजा में ऑनलान किये जाने संबंधी सुधार :–

(i) दो या दो से अधिक मौजा की जमाबंदी का भूलवश किसी एक मौजा में प्रविष्टि हो जाने की स्थिति में अंचल अधिकारी स्वतः ज्ञात होने पर या प्राप्त आवेदन के आलोक में उन जमाबंदियों को सही मौजे में प्रविष्टि करेंगे। जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु पूर्व से ही E-Jamabandi Module के अंतर्गत "Add New Jamabandi" menu से Option उपलब्ध कराया गया है। Online करने के लिए राजस्व कर्मचारी (As Maker), राजस्व अधिकारी (As Checker) तथा अंचल अधिकारी (Approver) अपने डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर जमाबंदी की प्रविष्टि करेंगे। राजस्व कर्मचारी जमाबंदी ऑनलाइन करने से पूर्व प्रत्येक मौजा से भूमि को अलग करने हेतु अभिलेख तैयार करेंगे। अभिलेख के आधार पर राजस्व कर्मचारी जमाबंदी ऑनलाइन करने संबंधित मौजों में जमाबंदी का ड्राफ्ट बनाएंगे तथा अभिलेख की कॉपी अपलोड कर इसे राजस्व अधिकारी को अग्रसारित करेंगे।

(ii) राजस्व अधिकारी जाँचोपरान्त अपना मन्तव्य अंकित कर इसे अंचल अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। अंचल अधिकारी के आदेश/स्वीकृति के उपरांत जमाबंदी में तत्संबंधी सुधार ऑनलाइन प्रदर्शित हो जाएगी। साथ ही, अंचल अधिकारी गलत मौजे में प्रविष्टि की गई जमाबंदी को एडिट करेंगे तथा जमाबंदी को जिस मौजा की है, उस जमाबंदी के भूमि का विवरण अंकित करेंगे तथा परिवर्तन के प्राधिकार में अन्य मौजा में दायर की गई जमाबंदी का विवरण दर्ज करेंगे।

कृपया तदनुसार परिर्माजन प्लस के माध्यम से डिजिटाईज्ड जमाबंदियों में मौजा संबंधी परिलक्षित त्रुटियों के संबंध में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन किया जाय, ताकि रैयतों/भू–धारियों की परेशानियों को शीध्रताशीध्र दूर किया जा सके। उपरोक्त निदेश का दृढतापूर्वक अनुपालन किया जाए।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु0–प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।